भारत सरकार

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

फ. सं. पी.सी.-V/278 आर बी ई सं. 135 /2000

सं. पी.सी.-V/2000/I/11/3 (गेज़) नई दिल्ली, दि. 14.7.2000

महाप्रबंधक/विशेष कार्य अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आदि,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां.

(डाक सूची के अनुसार)

विषय: संगठित ग्रुप 'ए' रेल सेवाओं को नॉन-फंक्शनल सिलेक्शन ग्रेड (एन एफ एस जी) प्रदान करना-- प्रतिशत सीमा में वृद्धि।

संदर्भ: पी.सी.IV का दिनांक 24.8.87 का पत्र सं. पी.सी. IV /87/इम्प/19.

रेलवे बोर्ड के उपर्युक्त पत्र के अनुसार, सभी संगठित ग्रुप 'ए' रेल सेवाओं में नॉन-फंक्शनल सिलेक्शन ग्रेड (एन एफ एस जी) शुरू किया गया था। कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में कार्यरत अधिकारियों को यह ग्रेड कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा और रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित/आशोधित शर्तों के अध्यधीन प्रदान किया गया था। इन अनुदेशों के अनुसार, एन एफएसजी में पदों की संख्या वरिष्ठ ड्यूटी पदों के 15% से अधिक नहीं होगी (अर्थात वरिष्ठ समय-मान के स्तर के और संवर्ग में ऊपर के सभी ड्यूटी पद)।

2. एनएफएसजी में प्रतिशत सीमा से संबंधित मामले पर सरकार द्वारा पुनर्विचार किया गया है और मौजूदा योजना में आंशिक आशोधन करते हुए, यह विनिश्चय किया गया है कि संगठित ग्रुप 'ए' केंद्रीय सेवाओं के संबंध में एनएफएसजी की 15% की मौजूदा सीमा को 6.6.2000 से 30% तक बढ़ा दिया जाए।

3. नॉन-फंक्शनल सिलेक्शन ग्रेड की योजना की मुख्य विशेषताएं संक्षेप में नीचे दी गई हैं:-

(i) एनएफएसजी में पदों की संख्या वरिष्ठ ड्यूटी पदों के 30% से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी (अर्थात वरिष्ठ समय-मान के स्तर के और संवर्ग में उससे ऊपर के सभी ड्यूटी पद)

(ii) संवर्ग की कुल संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी।

(iii) एनएफएसजी में नियुक्ति के लिए अधिकारियों पर विचार किए जाने से पहले ये अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के मूल ग्रेड के पद पर कार्यरत होंगे।

(iv) एनएफएसजी, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड का एक हिस्सा है, अतः एनएफएसजी में कुल कर्मचारियों की संख्या कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में उपलब्ध पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

(v) इस सेवा का कोई भी सदस्य (अधिकारी) एनएफजीसी में तब तक नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह उस परीक्षा वर्ष से, जिसके आधार पर सदस्य की भर्ती की गई थी, संबंधित वर्ष की एक जनवरी को सेवा करते हुए चौदहवें वर्ष में प्रवेश न कर गया हो।

(vi) एनएफएसजी में नियुक्ति पहले से निर्धारित कार्यविधि के अनुसार उपयुक्तता के आधार पर की जाएगी।

(vii) एनएफएसजी में नियुक्ति रेलवे बोर्ड द्वारा की जाएगी। महाप्रबंधकों को इन अधिकारियों को तदर्थ आधार पर इस ग्रेड में रखने का अधिकार नहीं होगा।

4. रेल मंत्रालय ने यह भी विनिश्चय किया है कि ये आदेश रेल सुरक्षा बल को छोड़कर इंजीनियरी सेवाओं और भारतीय रेल चिकित्सा सेवा सहित रेलों में विभिन्न संगठित ग्रुप 'ए' सेवाओं से संबंधित अधिकारियों पर लागू होंगे।

5. चूंकि एनएफएसजी, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड का एक हिस्सा है और नॉन-फंक्शनल भी है, अतः एनएफएसजी में नियुक्ति पदोन्नति के रूप में नहीं बल्कि उच्चतर वेतनमान में स्थापन मात्र मानी जाएगी।

6. ये अनुदेश 6.6.2000 से प्रभावी होंगे।

(नीरा खुटिया)
निदेशक वेतन आयोग
रेलवे बोर्ड